न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 10/2016 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. भोलाराम पुत्र छोटूराम पौत्र भीन्डूराम जाति मीणा निवासीयान बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0

..... अपीलांट

बनाम

1. छोटूराम पुत्र भीन्डूराम जाति मीणा निवासी बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0
2. ओमप्रकाश पुत्र छोटूराम पौत्र भीन्डूराम जाति मीणा
3. चेतराम पुत्र छोटूराम पौत्र भीन्डूराम जाति मीणा निवासीयान बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
4. गीता पुत्री छोटूराम पौत्र भीन्डूराम पत्नि भरतलाल जाति मीणा
5. बत्तो पुत्री छोटूराम पौत्र भीन्डूराम पत्नि लालाराम जाति मीणा निवासी ग्राम दीवली पहाड़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1.श्री निरंजन लाल चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री रिपुदमन सिंह नरूका, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.12.2019

यह दोनों अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 18.01.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 80, 81, 82, 83, 109, 110, 111, 119, 120, 122, 123, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 212, 213, 214, 217, 218 कुल किता 25 रकबा 8.70 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 31, 32, 42, 74, 76, 1052 कुल किता 6 कुल रकबा 2.39 है0 वाके ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर अबंट काश्त भूमि है। जिसका आज दिन तक तकासमा नही हुआ है। जिस आराजी हिस्सा में अपीलार्थी/वादी का सालिम 1/4 हिस्सा है। जिस संपूर्ण आराजी को तकासमा होने तक रेस्पो0 को रहन बय हिबा व अन्य प्रकार से अन्तरण ना करने तथा मौका व रिकार्ड

की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश पारित करना चाहिये था। लेकिन तहत अदालत ने गौर नही करते हुये उक्त वादग्रस्त आराजी का केवल मात्र 1/6 हिस्सा को रहन बय हिबा ना करने का स्थगन आदेश पारित किया है। जिस आदेश दिनांक 18.01.2016 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में दावे के तथ्यों को दोहराया एवं तहत अदालत द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त विवादित आदेश की आड में रेस्पो0 उक्त आराजी मुतनाजा के 1/6 हिस्सा को छोडकर शेष आराजी मुतनाजा को रहन बैय हिबा कर देते हैं तो वादी अपीलार्थी का कौनसा व किस स्थान पर 1/6 हिस्सा है, तय होने से रह जावेगा तथा वादग्रस्त आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम करने में न्यायालय को भारी असुविधा होगी तथा मिन अपीलार्थी वादी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर ताफैसला मूल वाद स्थगन आदेश पारित किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात के तकासमा होने तक, मूल प्रकरण निस्तारित होने तक रेस्पो0 उक्त संपूर्ण आराजी को रहन बय हिबा व अन्य प्रकार से अन्तरण ना करे तथा मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

जबाव में अधिवक्ता रेस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नही है और ना ही कभी रहा है तथा विवादित आराजी तन्हा खातेदार काश्तकार मिन अपीलांट है। जो कि राजस्व रिकार्ड से पूरी तरह साबित है जिस स्थिति में रेस्पो0 को पाबंद किया जाना न्यायसंगत नही था। रेस्पो0 अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। रेस्पो0 पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं। जिस स्थिति में भी अपीलांट को रेस्पो0 की आराजी में कोई हक व अधिकार नही है और ना ही मौके पर कभी रेस्पो0 काबिज रहे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके का अवलोकन नही किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट द्वारा मांगी गई रिलीफ से बाहर जाकर अपना निर्णय पारित किया है जबकि रेस्पो0 आराजी खसरा नंबर 80, 81, 82, 83, 109, 110, 111, 119, 120, 122, 123, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 212, 213, 214, 217, 218 कुल किता 25 रकबा 8.70 हैक्टेयर का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र के निर्णय के संबंध में तीन मुख्य बिंदुओं का विस्तृत रूप से विवेचन नही किया। प्रतिवादीगण रेस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिस स्थिति में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत नही था।अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, निर्णय की संज्ञा में नही आता है। पारित किया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 18.01.2016 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 18.01.2016 का अवलोकन किया गया ।

विवादित आराजीयात भीन्डू पुत्र भगवान मीणा के नाम दर्ज रही है। उसके फौत के पश्चात संवत 2071–74 में छोटूराम पुत्र भीन्डूराम के नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पैतृक संपत्ति रही है। अपीलांट, रेस्पो0 के पिता हैं, विवाद पिता–पुत्र में है। विवादित आराजीयात पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में पौत्र का हक निहित होता है। जब जन्मजात हक है तो संपत्ति में उक्त रेस्पो0 सहखातेदारान है। सभी सहखातेदारान का शामलाती आराजीयात के प्रत्येक भू–भाग पर कब्जा होता है। भूमि का अभी विभाजन होना बाकी है, विभाजन किस प्रकार के कानून के अंतर्गत होगा, यह विषय मूल वाद के बिंदु हैं। प्रकरण में अविभाजित आराजीयात पर परिवार के सभी सदस्यों(सहखातेदारों) का कब्जा होता है।

अतः अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 18.01.2016 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेण्टान/अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 80, 81, 82, 83, 109, 110, 111, 119, 120, 122, 123, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 212, 213, 214, 217, 218 कुल किता 25 रकबा 8.70 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 31, 32, 42, 74, 76, 1052 कुल किता 6 कुल रकबा 2.39 है0 वाके ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर से संबंधित मूल प्रकरण के निस्तारित होने तक उक्त संपूर्ण आराजी को रहन बय न करें तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
19.12.19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर